कृषि उपज विपणन मण्डी समिति सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017

भाग—एक

1. प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधोगिक उपज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 2005 की धारा 48(2) के दृष्टिगत, कृषि उपज मण्डी समिति सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान मण्डी समिति, सोलन में अध्यक्ष तथा सचिव के पद पर कार्यरत रहे पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	श्री रमेश ठाकुर	अध्यक्ष	1.4.16 से 31.3.17
2	श्री भानु शर्मा	सचिव	1.4.16 से 3.5.16
3	श्री प्रकाश कश्यप	सचिव	4.5.16 से 31.3.17

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

कृषि उपज मण्डी समिति सोलन, हिमाचल प्रदेश के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 में सम्मिलित गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्रम संख्या	विवरण	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	अग्रिम समायोजन हेतु शेष	5 (क)	2.92
2	निक्षेप कार्यों के लिए जमा राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	5 (ख)	341.33
3	दुकानो / गोदामों के किराए की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	8	61.74
4	बैंकों में जमा राशि का बैंक द्वारा क्रेडिट न देना	11	5.43
5	मण्डी शुल्क की कम वसूली करना	14	0.69
6	प्राप्त आय को रोकड़ बही में कम जमा दर्शाना	19	0.04

7	मोटर वाहन शीर्ष के अन्तर्गत किए गए अनियमित व्यय बारे	32	1.28
8	औपचारिकताऐं पूर्ण किए बिना किया गया अनियमित व्यय	35	25.64

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति संलग्न **परिशिष्ट–''क''** पर दर्शाई गई है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वसूली से सम्बन्धित अनेक आपत्तियाँ शामिल है, जिन पर शीघ्र कार्यवाही करके वसूली करने के अतिरिक्त अन्य पैरों का भी निपटारा किया जाए।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

मण्डी समिति सोलन के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण, श्री पुनीश सागर (अनुभाग अधिकारी), श्री केवल सिंह (अनुभाग अधिकारी) तथा श्रीमती ममता रावल (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) द्वारा पूर्वाकेंक्षण प्रणाली के आधार पर किया गया था।

3 अंकेक्षण शुल्क

निवासी अंकेक्षण योजना, मण्डी समिति सोलन में कार्यरत अनुभाग अधिकारी तथा लेखा परीक्षक का वित्त वर्ष 2016–2017 का अंकेक्षण शुल्क ₹1507673 आंका गया, जिसे मण्डी समिति द्वारा चैक संख्याः 601943 दिनांक 17.7.17 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) मण्डी समिति सोलन द्वारा प्रस्तुत मण्डी समिति की वर्ष 2016–2017 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न **परिशिष्ट–''ख''** पर भी दिया गया है।

दिनांक 1.4.2016 को आरम्भिक शेष	
रोकड़ तथा बैंक में शेष	238222911.72
अस्वीकृत चैक	1687197.00
कुल योग	**239910108.72**
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	116925190.14
कुल योग	**356835298.86**

वर्ष के दौरान भुगतान	54298921.00
दिनांक 31.3.2017 को अन्तिम शेष	302536377.86
रोकड़ तथा बैंक में शेष	300849180.86
अस्वीकृत चैक	1687197.00
योग	**302536377.86**

दिनांक 31.3.17 को रोकड़ तथा बैंक के अन्तिम शेष का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**विवरण**	**राशि**
1	विभिन्न बैंकों के बचत चालू खातों में जमा राशि (**परिशिष्ट–''ख''** के अनुसार)	32514414.66
2	सावधि जमा में निवेश (**परिशिष्ट–''ख''** के अनुसार)	268334266.20
3	हस्तगत /चैक शेष (**परिशिष्ट–''ख''** के अनुसार)	....
4	स्थाई अग्रिम	500.00
	कुल योग	**300849180.86**

कार्यालय द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वित्तीय स्थिति में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई है जिनके बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित हैः–

(1) वार्षिक लेखों के आय प्राप्ति के विवरण **(परिशिष्ट ए)** के क्रम संख्या 17 पर मीट से प्राप्त मण्डी शुल्क की राशि ₹279274 दर्शाई गई है जबकि लैजर अनुसार यह राशि ₹279254 थी। अतः ₹20 के अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(2) इसी परिशिष्ट के क्रम संख्या 27 पर बचत व सावधि जमा खातों से प्राप्त ब्याज की राशि ₹24331833.33 दर्शाई गई जबकि खाता बही के अनुसार ₹24437093.33 थी। अतः ₹105260 के अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ख) बैंक समाधान विवरणी

मण्डी समिति सोलन की दिनांक 31.3.17 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों में जमा राशि के अन्तशेष व मण्डी समिति की रोकड़ बही के अन्तशेष में ₹1371568.59 का अन्तर था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया है। (बैंक समाधान विवरणिका **परिशिष्ट "ग"** में संलग्न है)

(ग) निवेश

मण्डी समिति, सोलन द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में सावधि जमा योजना में ₹268334266 की राशि निवेशित थी जिसका विवरण **परिशिष्ट–"घ"** में दिया गया है। मण्डी समिति द्वारा दिनांक 31.3.2017 तक विभिन्न बैंकों में बचत तथा सावधि जमा से सम्बन्धित कुल 28 खाते थे। यह खाते कॉपरेटिव, राष्ट्रीयकृत तथा निजी बैंकों में थे। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सरप्लस निधि का निवेश हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन–आई0एफ(ए)1–66/91–v, फाईनैंस डिपार्टमैंट (आई0एफ) शिमला–171002, दिनांक 17.4.2014 में दिए गए निर्देशनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार की अनियमितता बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या–4 (ग) द्वारा भी सरप्लस निधि को निवेशित करने बारे सुझाव दिया गया था परन्तु मण्डी समिति सोलन इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही अमल में लाई गई प्रतीत नहीं होती है।

5 अग्रिम

(क) अग्रिम ₹2.92 लाख को समायोजन न करने बारे

अंकेक्षण द्वारा बार–बार आग्रह किए जाने के बावजूद निम्नानुसार कई अग्रिम राशियाँ जोकि पिछले वर्षों से लम्बित पड़ी थी, के समायोजन हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शीघ्र इन राशियों का समायोजन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	दिनांक	बिल संख्या	विवरण	राशि (₹)
1	19.4.2011	43	शासकीय डाक टिकटों हेतु	2000
2	23.9.2011	291	पैट्रोल हेतु	5000
3	1.11.2011	375	शासकीय डाक टिकटों हेतु	2000
4	6.2.2013	449	शासकीय डाक टिकटों हेतु	1000
5	17.12.13	421	फार्मों की लोडिंग/अनलोडिंग हेतु	10000
6	20.01.15	504	नये साल के डायरी व केलेण्डरों के क्रय हेतु	7000
7	12.01.16	448	नये साल के डायरी व केलेण्डरों के क्रय हेतु	10000
8	1.10.16	337	पैडस्टल स्टौन हेतु	20000
9	17.12.16	512	कलैण्डर/स्टेशनरी हेतु	10000

10	28.12.16	526	फाउण्डेशन स्टोन हेतु	100000
11	04.01.17	546	जागरूकता शिविर हेतु	50000
12	04.01.17	547	जागरूकता शिविर हेतु	25000
13	04.01.17	548	जागरूकता शिविर हेतु	50000
			कुल योग	**292000**

(ख) डिपोजिट वर्कस के लिए जमा ₹341.33 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः—

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत लेखों के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को निम्नविवरणानुसार ₹341.33 लाख हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड तथा अन्य विभागों के पास असामायोजित दर्शाई गई है जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र बोर्ड तथा अन्य विभागों से शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करके इन राशियों का समायोजन करना सुनिश्चित किया जाए तथा इस राशि के समर्थन में विपणन बोर्ड तथा अन्य विभागों द्वारा जारी मिलान प्रमाण पत्र (Reconcilition Certificate) भी अंकेक्षण को प्रस्तुत किए जाऐं।

संस्थान का नाम जिसे डिपोजिट वर्क्स की अग्रिम राशि दी गई थी	जितनी राशि दिनांक 31.3.17 को असमायोजित थी	
हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड शिमला	30527191	
HPSEB Electrical Division, Parwanoo	791350	(टिप्पणी— इस सम्बन्ध में समिति से अंकेक्षण प्रतिवेदन 2015—16 के पैरा संख्या 5 द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा गया था परन्तु समिति द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।)
HPSEB Electrical Division, Solan	265020	
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, सोलन	357700	
AE, Electrical division, parwanoo	1424930	
HPSEB Kandaghat Solan	766400	
कुल योग	**34132591**	

6 पूर्वांकेक्षण में प्रस्तुत बिलों में की गई ₹1.98 लाख की कटौती (Retrechment) करने बारे

मण्डी समिति सोलन द्वारा वर्ष 2016–17 में प्रस्तुत बिलों में से पूर्व अंकेक्षण के समय ₹198175 की कटौतियाँ विभिन्न बिलों से की गई है। अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त दर्शाई गई कटौतियों के अतिरिक्त विभिन्न बिलों को पारित करने से पूर्व व उनमें पाई गई अनियमितताओं के बारे में समिति को अवगत करवाकर आवश्यक सुधार करने उपरान्त ही बिलों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने को कहा गया है जिससे संस्था के लाखों रूपये के अपव्यय को रोककर मण्डी समिति को होने वाली वित्तीय हानि से रोका गया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण द्वारा विभिन्न वित्तीय प्रकरणों में समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों का समय–समय पर सही मार्गदर्शन भी किया गया है।

7 मण्डी समिति द्वारा विभिन्न दुकानों/गोदामों से सम्बन्धित देय प्रतिभूति ₹132.35 लाख का अभिलेख प्रस्तुत न करना

मण्डी समिति सोलन के वर्ष 2016–17 के तुलन पत्र (परिशिष्ट–ङ) में विभिन्न दुकानो/गोदामों की प्रतिभूति के रूप में ₹13234807.50 की राशि देय दर्शाई गई है जिससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण देय प्रतिभूति की राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹61.74 लाख वसूली हेतु शेषः–

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत तुलन पत्र के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹6174229 की राशि विभिन्न मार्किट यार्डों के आबटियों से किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष दर्शाई गई है जिससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण किराए की बकाया राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त चूंकि किराए की राशि की समय पर वसूली न होने के कारण एक तो मण्डी समिति के उक्त किराए की राशि में बढ़ौतरी हो रही है तथा साथ में मण्डी समिति को निवेश पर प्राप्त होने वाले ब्याज से भी वंचित होना पड़ रहा है। अतः उक्त आबंटियों से बकाया किराए की राशि को आबंटन नीति एवं अधिनियम की शर्तों के अनुसार अतिशीघ्र वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 टर्मिनल मण्डी परवाणू में पट्टे पर आबंटित दुकानों से पटटे की बकाया राशि ₹8.97 लाख वसूली हेतु शेष

मण्डी समिति सोलन द्वारा टर्मिनल मण्डी परवाणू में विभिन्न कारोबारियों को पट्टे पर दुकाने आबंटित की गई हैं जिनमें से **परिशिष्ट–"च"** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को ₹897409 की राशि विभिन्न पट्टाधारियों से वसूली योग्य शेष थी, जिसकी वसूली हेतु उचित पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 सावधि जमा से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत न करना

मण्डी समिति सोलन द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखें वर्ष 2016–17 के साथ संलग्न सावधि जमा से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण 31.3.17 को सावधि जमा की राशि की जाँच नहीं हो सकी इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए वाँछित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 विभिन्न बैंकों में जमा की गई ₹5.43 लाख की राशि का बैंक द्वारा क्रेडिट न देना

दिनाक 31.3.17 को जारी बैंक समाधान विवरणी की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न बैंकों में जमा किए गए चैकों की कुल राशि ₹542765 जो दिनांक 31.3.17 के बाद भी सम्बन्धित खातों में जमा नहीं हुई थी। अतः अब इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस राशि की वसूली बारे उचित प्रयास किए जाएं तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

बैंक का नाम	चैक सं0	जमा की तारीख	राशि	टिप्पणी
पीएनबी खाता संख्या 0433020100000162	198147	8.12.16	1481	31.3.17 के बाद भी राशि जमा नहीं पाई गई
	276062	27.3.17	49166	
	87983	27.3.17	3254	
एचडीएफसी परवाणु खाता संख्या 50100052901831	503848	14.3.16	50000	
	000003	30.4.16	60409	
	022899	6.9.16	88689	
	049075	27.9.16	7406	
	027384	28.9.16	94971	
	050470	24.3.17	9200	

	616400	24.3.17	12405	
इण्डसइण्ड बैंक खाता संख्या 100052638809	491771	31.3.17	1143	
	494972	31.3.17	19096	
	699903	31.3.17	3600	
	830513	31.3.17	3600	
	368367	31.3.17	3600	
	092292	31.3.17	48494	
	692293	31.3.17	3600	
	016440	31.3.17	3600	
	663846	31.3.17	5252	
जे0सी0सी0बी परवाणु खाता सख्या 101534029000024	324963	31.3.17	12257	खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वापस किया गया।
जे0सी0सी0बी0 सोलन खाता संख्या 101834001006124	909403	22.3.17	5580	
	262487	31.3.17	22723	
	262486	31.3.17	11179	
आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या 050405000649	------	24.3.17	7395	राशि स्वाइप मशीन द्वारा जमा की गई दर्शाई गई है परन्तु खाते में जमा नहीं हुई है।
	------	25.3.17	13700	
बैंक में कम जमा		24.3.17	400	पीएनबी सोलन में कम जमा
		31.3.17	400	पीएनबी सोलन में कम जमा
		31.3.17	2	पीएनबी सोलन में कम जमा
		03/2017	3	जेसीसीगबी परवाणु में कम जमा
		7.11.16	160	यस बैंक में कम जमा
		कुल	**₹542765**	

(अधियाचना संख्या 8 दिनांक 15.9.18)

12 बैंक खाते में जमा ₹1.28 लाख की आय का स्त्रोत न बताने बारे

वार्षिक लेखे वर्ष 2016–17 की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹128486 पीएनबी खाता संख्या 0433020100000162 में जमाकर्ताओं द्वारा सीधे तौर पर जमा की गई है परन्तु यह राशि किसने व किस शीर्ष के अन्तर्गत या किस स्त्रोत की आय के तौर पर जमा करवाई गई है, से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण इस राशि के जमा सम्बन्धी सही स्थिति की जाँच नहीं की जा सकी। अतः अब उक्त राशि से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जमा की तारीख	राशि
27.10.16	36230
27.3.17	10563
28.3.17	50722
31.3.17	3253
31.3.17	1870
31.3.17	1990
31.3.17	4410
31.3.17	7159
31.3.17	12289
कुल	**₹128486**

13 बिजली बिलों के भुगतान में पाई गई अनियमितताऐंः–

बिल नं0 90 दिनांक 25.5.16 ₹20063 बिल नं0 304 दिनांक 15.9.16 ₹17829 व बिल नं0 393 दिनांक 24.10.16 ₹128892 के पूर्वांकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

(क) निम्नलिखित बिजली के मीटरों से सम्बन्धित बिजली बिलों की जाँच में पाया गया कि बिजली विभाग द्वारा कम यूनिट की खपत पर ज्यादा राशि वसूल की गई है जिसके बारे में सम्बन्धित विभाग से पूछताछ की जाए तदानुसार अंकेक्षण को अवगत किया जाएः–

मीटर सं0	खपत की गई यूनिट	चार्ज की गई राशि	खपत की गई यूनिट	चार्ज की गई राशि
सीएचसी 2000005	427	4367	211	5463

सीएचसी 2000007	627	5456	325	6187

(ख) मीटर संख्या एसबी 32000061 के 8/16 से 9/16 तक के बिल की राशि में असामान्य बढ़ौतरी पाई गई जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाएः–

अवधि	**खपत की गई यूनिट**	**चार्ज की गई राशि**	**टिप्पणी**
5/16 से 7/16	1198	6776	
7/16 से 8/16	————	194	
8/16 से 9/16	3242	17829	असामान्य बढ़ौतरी

(ग) मीटर नं0 2640910 खाता संख्या एम (सी) सी–9 के अवधि 1.8.16 से 1.9.16 के बिल की कुल राशि ₹33424 में ₹20375 की राशि एरियर के रूप में सम्मिलित की गई थी जिसके बारे में पूर्वांकेक्षण के समय किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त अनियमितताऐं पूर्व अंकेक्षण के समय मण्डी समिति के ध्यान में लाई गई थी परन्तु मण्डी समिति ने यह बिल अंकेक्षण के समक्ष पारित करने हेतु पुनः इस आश्वासन के साथ प्रस्तुत किए कि उपरोक्त अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण आवश्यक समायोजन हेतु बिजली बोर्ड के समक्ष उठाए जाऐंगे। अतः मण्डी समिति का समयबद्ध दायित्व होने के कारण तथा बिजली का कनैक्शन कटने से बचाने हेतु यह बिल उपरोक्त अंकेक्षण आपत्तियों का निपटारा करने की शर्त पर अस्थाई रूप से पारित कर दिए गए थे परन्तु मण्डी समिति ने अभी तक उपरोक्त अनियमितताओं बारे की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की ताए तथा उपरोक्त अनियमितताओं बारे आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 मण्डी शुल्क ₹0.69 लाख की कम वसूली

मण्डी समिति की वर्ष 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015–16 में प्राप्त मण्डी शुल्क की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मण्डी समिति सोलन के कारोबारियों/कमीशन एजैन्टो से उनके नाम के आगे दर्शाई गई देय मण्डी शुल्क ₹69387 की कम वसूली की गई जिसे अब हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 37 (8) के प्रावधान अनुसार जुर्माना राशि सहित वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Name of the Firm	Period/Date of Sale Purchase	M/O Form Number/Page Number	Market Fee Realized	Market Fee to be realized	Market Fee Less Realized
M/S Baba Nanak Atta Chakki Daduwal, Baddi	3.2.13 to 31.3.13	33152-33153	3295	3323	28
	1.4.13 to 13.5.13	33154-33156	6064	6077	13
	5.6.13 to 10.2.14	33157-33165	5534	5547	13
				Total	**54**
M/S Rajendra Atta Chakki Nalagarh	15.6.11 to 18.10.11	14/54-15/54	5362	5425	63
				Total	**63**
M/S Greeply Industries Ltd. Nalagargh	28.12.11	62/02	7034 (as per Cash Book of Nalagargh)	7094	60
	10.5.14 to 23.5.14	146/03-147/03	------	11078	11078
				Total	**11138**
M/S Prakash Agro Industries Baddi	22.9.10 to 18.10.10	0000202	4832	5632	800
	24.4.11 to 17.5.11	0000207	7929	7999	70
	6.7.13 to 6.8.13	0000221	10318	10324	6
				Total	**876**
M/S BK Enterprises Nalagarh	8.10.11 to 29.12.11	000362	9793	9843	50
	11.10.12	000367	1119	1188	69
	1.4.15 to 18.6.15	00384-385	18932	19632	700
				Total	**819**
M/S Neki Ram Kishori	12.11.10 to 5.1.11	27/1031-28/1031	3129	4149	1020

Lal Nalagarh					
	6.6.15 to 24.6.15	43/1031	2003	3003	1000
				Total	**2020**
M/S Jai Gopal Giripul Rajgarh	17.4.13 to 27.8.13	20/121-23/121	22195	32195	10000
		09/121 to 10/121	----	792	792
				Total	**10792**
M/S Ashok Kumar Giripul Rajgarh	18.7.11 to 9.9.11	33/18-43/18	31355	32929	1574
	10.5.12	45/18	569	646	77
				Total	**1651**
M/S Shiv Shakti Trader Saproon Solan	26.9.15 to 27.9.15	334537	9805	9985	180
				Total	**180**
M/S Padam Singh Parveen Kumar Rajgarh	20.4.10 to 22.4.10	06/436	267	275	8
	12.7.11	24/436	1462	1552	90
	23.7.11	25/436	1092	1104	12
				Total	**110**
M/S Mahasu Apple Trader Solan	7.9.14	367501	700	715	15
	9.9.14	367503	850	858	8
	9.9.14	367503	498	1532	1034
	10.9.14	367504	960	984	24
	13.9.14	367506	1104	1164	60
	24.9.14	367514	1120	1162	42
	26.9.14	367516	718	768	50
	11.10.14	367520	800	880	80
	13.10.14	367521	1750	1900	150
				Total	**1463**

M/S Sanju Apple Trader Solan	10.6.13	0035010	450	455	5
	12.8.13	0035027	86	410	324
	14.8.13	0035029	300	3000	2700
	16.8.13	0035029	128	248	120
	13.8.14	367701	200	400	200
	28.7.15	367710	70	75	5
				Total	**3354**
M/S Virender Fruit Agency Solan	31.8.13 to 16.9.13	0043706-0043707	------	24734	24734 (Receipt not Shown)
	4.8.14 to 11.8.14	0043708-0043709	21960	22160	200
	13.8.14	0043710	18	180	162
	23.8.14	0043711	440	490	50
				Total	**25146**
M/S Hindustan Uniliver Ltd. Barotiwala Nalagarh	1.4.13 to 15.4.13	0033602	Nil	5115	5115 (As per Page No. 234 of daily receipt register of Nalagarh R.No. 86/2342 belongs to M/S Tri Dev Spices
				Total	**5115**
M/S Deo baba prodection Deoli, Nalagarh	20.10.10 to 23.10.10	30	Nil	1475	1475
	1.9.12 to 25.9.12	08309 to 08312	6068	6078	10
	11.10.13 to 24.10.13	08322 to 08324	Nil	3281	3281
				Total	**4766**
M/S Lakyan Fruit Co. Solan	16.8.12 to 30.9.14		255286	255960	674

				Total	**674**
M/S Hateshwari Fruit Co. Solan	4.8.14 to 15.9.15		452240	452506	266
				Total	**266**
M/S Noila Fruit Tader Solan	29.7.14 to 8.8.14		1576071	1576291	220
				Total	**220**
M/S Air Plaza Retail Pvt. Ltd. Nalagarh	1.4.11 to 3.9.15		116632	117312	680
				Total	**680**
				Grad Total	**69387**

(अधियाचना संख्या 10 दिनांक 12.7.16, 24 दिनाँक 19.12.16 व 31 दिनांक 25.3.17)

15 मण्डी शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से अनुरोध किए जाने के बावजूद भी निम्नलिखित फर्मों के आगे दर्शाई गई अवधि से सम्बन्धित क्यू फार्म अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन फर्मों द्वारा मण्डी समिति के नियमानुसार वाँछित अभिलेख तैयार नहीं किए गए थे, जिस कारण इन फर्मों से देय मण्डी शुल्क का आंकलन नही किया जा सका। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**फर्म का नाम**	**अवधि**
1	मै0 बाबा नानक आटा चक्की डाडुवाल बद्दी	5.1.13 से 16.10.15
2	मै0 गिरधारी लाल एग्रो मिल्स बद्दी नालागढ़	3.4.09 से 23.6.15
3	मै0 राजेन्द्र आटा चक्की किशनपुरा नालागढ़	3.4.11 से 16.3.12
4	मै0 जीएस फलोर निमस चौकीवाला नालागढ़	1.4.11 से 16.10.15
5	मै0 प्रकाश एग्रो इण्डस्ट्रीज बद्दी	21.4.10 से 15.1.15
6	मै0 बीके एण्टरप्राईजिज किशनपुरा नालागढ़	2.10.10 से 25.9.15
7	मै0 नेकीराम किशनलाल बद्दी नालागढ़	20.4.09 से 28.9.15
8	मै0 जय गोपाल गिरिपुल राजगढ़	18.6.09 से 31.03.15
9	मै0 अशोक कुमार गिरिपुर राजगढ़	26.4.10 से 21.12.14

10	मै0 पदम सिंह परवीन कुमार यशवन्त नगर राजगढ़	8.4.10 से 19.12.14
11	मै0 शिव शक्ति ट्रेडर सोलन	2.8.14 से 25.11.15
12	मै0 महासु एप्पल ट्रेडर सोलन	6.9.14 से 31.3.15
13	मै0 हरि सिंह चौहान बाई पास सोलन	6.8.15 से 21.8.15
14	मै0 बरागटा फ्रूट कम्पनी सोलन	13.8.15 से 13.10.15
15	मै0 मित्तल एण्ड कम्पनी सोलन	16.10.10 से 22.03.16
16	मै0 सन्जू एप्पल ट्रेडर सोलन	4.8.12 से 22.10.15
17	मै0 ब्रिजेश्वरी एप्पल एजैन्सी सोलन	21.8.14 से 13.10.14
18	मै0 विरेन्द्र फ्रूट एजैन्सी बाई पास सोलन	30.7.13 से 12.9.15

16 मण्डी शुल्क की नियमानुसार वसूली न करने के कारण मण्डी समिति को ही रही हानि बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 45 (2) जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है, का कडाई से पालन नहीं किया जा रहा है तथा मण्डी समिति की आय देरी से प्राप्त तथा जमा की जा रही है।

"On the agricultural produce brought in the market area for the commercial transaction or for processing, the market fee shall be deposited by the buyer or processor, as case may be, in the office of the Market Committee, within fourteen days but before the sale or resale or processing or export outside the market area of such agricultural produce", परन्तु मण्डी समिति में उक्त नियमानुसार मण्डी शुल्क जमा नहीं करवाया जा रहा है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ उदाहरण **परिशिष्ट "ज"** में दिए गए है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियम 45 (3) के अन्तर्गत कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में निर्धारित समय अवधि के भीतर मण्डी शुल्क का जमा करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

17 मण्डी शुल्क के निर्धारण (Assesment) हेतु वार्षिक लेखें प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 37 के अनुसार प्रत्येक कारोबारी को वर्ष के अन्त में निर्णण (Assesment) हेतु अपने वार्षिक

लेखें प्रस्तुत करने होते है ताकि मण्डी समिति अपने स्त्तर पर देय मण्डी शुल्क की बकाया राशि, जुर्माना राशि या अन्य किसी लेनदारी का आंकलन कर सके। उपरोक्त पैरा 15 में दर्शाए गए 18 कारोबारियों से सम्बन्धित उक्त अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए यह अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष अब प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 मण्डी शुल्क के निर्धारण से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित आढ़तियों के उनके सामने दर्शाये गए ओ/एम फार्म सम्बन्धित मण्डी शुल्क की नस्तियों में संलग्न नहीं थे। जिस कारण इन फर्मो से वसूली योग्य मण्डी शुल्क की राशि का सही आंकलन नहीं किया जा सका। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित ओ फार्म/एम फार्म अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किए जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को न दोहराया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

क्र0सं0	फर्म का नाम	ओ/एम फार्म सं0	सम्भावित अवधि
1	मै0 गिरधारी लाल एग्रो मिल्स बद्‌दी नालागढ़	43/1490, 48/1490, 50/1490	———————
2	मै0 प्रकाश एग्रो इण्डस्ट्रीज बद्‌दी	0000225 से 0000226	22.3.14 से 14.7.14
3	मै0 बीके एण्टरप्राईजिज किशनपुरा नालागढ़	000357, 000378 से 000383	4.4.14 से 31.3.15
4	मै0 मित्तल एण्ड कम्पनी सोलन	28/175 से 29/175, 31/175	
5	मै0 सन्जू एप्पल ट्रेडर सोलन	003541 से 003550	
6	मै0 विरेन्द्र फ्रूट एजैन्सी बाई पास सोलन	0043719 से 0043750	

7	मै0 जय गोपाल गिरिपुल राजगढ़	16/121 से 18/121 (मूल फार्म की जगह छायाप्रति लगाई गई है)	9.7.11 से 1.6.12

(ख) विभिन्न फर्मों से प्राप्त मण्डी शुल्क की पड़ताल करने पर पाया गया कि मण्डी शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख का ठीक ढ़ंग से रख–रखाव नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ओ फार्म में कई जगह कटिंग या ओवरराईटिंग की गई थी। कई फार्मों के सम्बन्धित कालम में रेट वजन का सम्पूर्ण विवरण भी नहीं भरा जा रहा था, जोकि उचित नहीं है। अतः भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(ग) मै0 विरेन्द्र फ्रूट एजैन्सी बाई पास सोलन से सम्बन्धित ओ फार्म नं0 334801 से 334805 की पड़ताल से ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म का कुल व्यापार ₹4112000 था जिसके लिए नियमानुसार ₹41120 का मण्डी शुल्क बनता था परन्तु फर्म द्वारा ₹20560 का मण्डी शुल्क ही जमा करवाया गया है। अतः मण्डी शुल्क ₹20560 की कम वसूली किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(घ) मै0 गिरधारी लाल एग्रो मिल्स बद्दी नालागढ़ से सम्बन्धित नस्ति के पृष्ठ संख्या 103 पर लगाए वी फार्म अनुसार रसीद नं0 95/2407 दिनांक 22.9.14 द्वारा ₹10823 का मण्डी शुल्क वसूल किया गया है, परन्तु जिस लेनदेन के अभिलेख के आधार पर मण्डी शुल्क की इस राशि की गणना की गई है। वह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उक्त अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष अब प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 चैक पोस्ट कोटी व चक्की का मोड़ में प्राप्त आय से ₹0.04 लाख की कम आय जमा करने बारे

चैक पोस्ट कोटी व चक्की का मोड़ पर विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय की जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार की आय प्राप्त आय से कम जमा की गई थी जिसका औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	चैक पोस्ट	रसीद संख्या व दिनांक	राशि	जमा की गई राशि	कम जमा
1	कोटी	245268 दिनांक 14.8.15	243	———	243
2	कोटी	88/2499 से 95/2499	4155	4135	20
3	चक्की का मोड़	20531 दिनाक 30.10.14 से 20535 दिनांक 31.10.14	3654	———	3654
4	नालागढ़	माह 01/2016 के दैनिक प्राप्ति रजिस्टर अनुसार	519848	519818	30
				कुल	**3947**

20 दैनिक आय प्राप्ति रजिस्टर व रोकड़ बही में दर्ज आय की राशि में भिन्नता बारे

विभिन्न याड़ों के दैनिक आय प्राप्ति रजिस्टर अनुसार प्राप्त आय कृषि उपज विपणन समिति की मुख्य रोकड़ बही में दर्ज आय के साथ मिलान करते हुए पाया गया कि निम्न विवरणानुसार राशियों में भिन्नता है।

माह	चैक पोस्ट का नाम	दैनिक आय प्राप्ति रजिस्टर अनुसार राशि	मण्डी समिति की मुख्य रोकड़ बही के अनुसार राशि	अन्तर
8/14	कोटी व चक्की का मोड़	369081	385575	16494
9/14	————	152559	136065	16494
10/14	————	67099	70753	3654
01/16	नालागढ़	519818	520677	859
02/16	————	696366	695542	824

अतः उपरोक्त अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा यथोचित अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

21 कम्पाउंडिंग फीस के वसूली बारे

विभिन्न चैक पोस्टों/मार्किट याडों में प्राप्त होने वाली आय का रोकड़ बही के साथ मिलान करते हुए पाया गया कि विपणन समिति द्वारा कुछ उत्पादों पर कम्पाउंडिंग फीस की वसूली की जा रही थी, से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में वसूली की गई फीस की गणना के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

वसूल की गई कम्पाउंडिंग फीस से सम्बन्धित कुछ उदाहरण संलग्न **परिशिष्ट "झ"** पर दिए गए हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि कुछ उत्पादों पर तो एक ही दिन में अलग–अलग दर पर कम्पाउंडिंग फीस भी वसूली की गई थी।

अतः कम्पाउंडिंग फीस की वसूली हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दरों की प्रति अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई जाए ताकि विभिन्न उत्पादों पर वसूल की जाने वाली कम्पाउंडिंग फीस की राशि की पुष्टि की जा सके। इसके अतिरिक्त भविष्य में भी नियमानुसार निर्धारित दरो पर विभिन्न उत्पादों पर कम्पाउंडिंग फीस की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

22 विभिन्न रजिस्टरों को तालिका रजिस्टर (Inventory Register) में दर्ज न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि प्रयोग में लाए जा रहे निम्नलिखित महत्वपूर्ण रजिस्टरों को कार्यालय के तालिका रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जोकि कार्यालय नियमों की अवहेलना है। अतः इन रजिस्टरों को अब तालिका रजिस्टर में दर्ज करने के उपरान्त अंकेक्षण को सूचित किया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार तालिका रजिस्टरों में इन्द्राज करने के उपरान्त ही नए रजिस्टर का प्रयोग किया जाएः–

क्र0सं0	रजिस्टर का नाम
1	दैनिक प्राप्ति रजिस्टर दिनांक 1.4.15 से आगे, उप मण्डी नालागढ़
2	दैनिक प्राप्ति रजिस्टर दिनांक 25.9.13 से आगे चैक पोस्ट चक्की का मोड़
3	दैनिक प्राप्ति रजिस्टर दिनाक 31.7.13 से 17.10.13 कोटी बैरियर
4	दैनिक प्राप्ति रजिस्टर दिनांक 31.7.14 से आगे कोटी बैरियर

23 आय की जाँच के दौरान पाई गई विभिन्न त्रुटियाँ

(1) चैक पोस्ट चक्की का मोड़ में रसीद संख्या 245267 दिनांक 14.8.15 राशि ₹243 की डुप्लीकेट कापी हाथ से लिखी गई थी जिस कारण रसीद पर अंकित राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः विपणन समिति अपने स्तर पर जाँच करने उपरान्त स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(2) चैक पोस्ट चक्की का मोड़ की आय का मिलान करते हुए पाया गया कि रसीद बुक संख्या 2500 का दिनांक 6.8.14 से 31.8.14 तक प्रयोग किया गया था जिसमें केवल क्रम संख्या 1 से 19 तक की रसीदें ही प्रयोग में लाई गई थी। शेष क्रम संख्या 20 से 100 तक

की रसीदें आज दिनांक तक प्रयोग नहीं की गई है। जिनका प्रयोग करने बारे आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

24 न्यायालय के आदेशों की अनुपालना उपरान्त नियुक्ति प्रदान करते समय दोहरे माप दण्ड का अपनाया जाना

वेतन व भत्तों की बकाया राशि के भुगतान से सम्बन्धित बिल संख्या 47 दिनांक 22.4.16, ₹151459 124 दिनांक 13.6.16 ₹129161 व 125 दिनांक 13.6.16 ₹127862 तथा 263 दिनाँक 11.7.17 ₹61628 के पूर्वाकेंक्षण के दौरान पाया गया कि श्री सन्दीप कुमार, श्री गंगा राम, श्री यशवन्त सिंह व श्री कमल किशोर मण्डी समिति सोलन में 2002/2003 से पार्ट टाइम या दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रहे थे। इन कर्मचारियों द्वारा 2015–2016–2017 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में मामला (केस संख्या 4741/2015, 1173/2016, 1147/2016 व 634/2017) दर्ज करवाया कि दैनिक वेतन भोगी होने के बावजूद इन कर्मचारियों से चूंकि सहायक नीलामी कर्ता का कार्य लिया जा रहा है। अतः दिनांक 29.3.11 को केस संख्या 3200/2010 में पारित निर्णय के आधार पर इन्हें सहायक नीलामी कर्ता का पद व वेतन दिया जाए। उक्त सभी मामलों में अन्तिम निर्णय दिनांक 10.12.15, 13.4.16, 7.4.16 व 14.3.17 को कर्मचारियों के पक्ष में आने के उपरान्त हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड शिमला द्वारा पत्र संख्या एचएमबी (एलसी–ओए नं0 4741 औफ 2015)/2016–368 दिनांक 13.4.16 पत्र संख्या एचएमबी (एल सी–ओए नं0 1173 औफ 2016)/2016–1949 दिनांक 25.5.16, पत्र संख्या एचएमबी (एलसी–ओए 1147 औफ 2016)/2016–1956 दिनांक 25.5.16 व पत्र संख्या एचएमबी (एलसी–ओए नं0 634 औफ 2017)/2017–2257 दिनांक 23.6.17) द्वारा इन कर्मचारियों को दोंहरा मापदण्ड दिखाते हुए अलग–अलग प्रकार की नियुक्ति दी गई है। श्री सन्दीप कुमार, श्री गंगा राम, श्री यशवन्त सिंह, को मामला दर्ज करने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व से अनुबन्ध आधार पर सहायक नीलामी कर्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए 3 वर्ष का एरियर दिया गया जबकि श्री कमल किशोर को मामला दर्ज करने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व से दैनिक वेतन भोगी सहायक नीलामी कर्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए 3 वर्ष का एरियर दिया गया है। इन सभी मामलों के निर्णय का आधार जब एक ही केस 3200/2010 का निर्णय दिनांक 29.3.11 था तो 3 कर्मचारियों को अनुबन्ध का लाभ तथा एक को दैनिक वेतन भोगी सहायक नीलामीकर्ता के पद का लाभ दिया जाना हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के दोहरे माप दण्ड को दर्शाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

अंकेक्षण द्वारा सी0डब्ल्यू0पी0 3200/2010 मामले में याचिका कर्ता को दिए जाने वाले लाभों बारे सूचना मांगी थी तथा उसी आधार पर इन बिलों को नियमित करने का सुझाव दिया था परन्तु न तो निर्णय की प्रति उपलब्ध करवाई गई तथा न ही बिलों को तदानुसार नियमित किया गया जिससे यह ज्ञात कर पाना मुश्किल था कि इन कर्मचारियों को दिए गए लाभ उचित थे या नहीं। अंकेक्षण के मतानुसार यदि सी0डब्ल्यू0पी0 3200/2010 मामले में याचिका कर्ता को क्लर्क की दैनिक दिहाड़ी दी गई थी। इन मामलों में भी कर्मचारियों को सहायक नीलामी कर्ता की दैनिक दिहाड़ी ही दी जानी थी। इसके अतिरिक्त यह अनुमान लगाना भी कठिन है कि जब ये कर्मचारी निर्णय की तिथि से पूर्व पार्ट टाइम या दैनिक वेतन भोगी के तौर पर कार्यरत्त थे तो किस आधार पर इन्हें अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति दी गई थी।

अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त अनियमितताओं को मण्डी समिति के संज्ञान में लाकर उचित कार्यवाही करने बारे कहा था परन्तु मण्डी समिति ने बिना किसी कार्यवाही के बिल पारित करने हेतु अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जिन्हें अंकेक्षण द्वारा इस शर्त पर पारित किया गया था कि मण्डी समिति द्वारा सभी आपेक्षित अभिलेख बाद में अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगें परन्तु अभी तक अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तदानुसार वाँछित कार्यवाही करके अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

(अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6 दिनांक 10.6.16, 11 व 12 दिनांक 16.7.16)

25 आउटसोर्स पर रखे गए विभिन्न कर्मचारियों को किया गया अनुचित भुगतान

25.1 **(क)** हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के पत्र संख्या एचएमबी (बी) 1–6/2013–1–10594 दिनांक 11.2.16 द्वारा मण्डी समिति सोलन को एक मार्किटिंग एग्जीक्यूटिव व एक मल्टी परपज वर्कर आउटसोर्स के माध्यम से 3 माह के लिए रखने हेतु निर्देशित किया था जिसके उपरान्त मण्डी समिति ने मै0 शिमला क्लीनवेज के माध्यम से उक्त 2 कर्मचारियों को रखा था। अंकेक्षण द्वारा इन 2 कर्मचारियों को रखे जाने की आवश्यकता बारे पूछा तो मण्डी समिति द्वारा पत्र संख्या ए/एसएमसी–2–155/2012–3674 दिनांक 24.11.15 में प्रस्तुत उत्तर जिसमें इन 2 कर्मचारियों को रखे जाने का कारण भूतपूर्व सैनिकों के स्थान पर चैक पोस्ट पर कृषि उत्पाद की आवक जावक को प्रविष्टि करने के लिए बताया गया था परन्तु बिल पर अंकित प्रमाण पत्र अनुसार इन कर्मचारियों से आवक जावक की प्रविष्टि के स्थान पर 14 दिनों के अन्दर मण्डी फीस जमा न करने वाली फर्मों की जाँच सम्बन्धी कार्य लिया गया जोकि उक्त पत्र में दर्शाई आवश्यकता से भिन्न था। अतः इससे साफ प्रतीत होता है कि

इन–2 कर्मचारियों को बिना किसी आवश्यकता के रखा गया था जोकि पूर्णतया अनियमित है क्योंकि इस प्रकार के सामान्य कार्य हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मण्डी समिति सोलन में स्वीकृत पदों अनुसार स्टॉफ नियुक्त है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आवश्यक कार्यवाही करके अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार (वित्त विभाग) शिमला–2 के पत्र संख्याः फिन–एफ (ए)–(11)–11/2004 दिनांक 5.8.15 द्वारा वाँछित हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसकी अनुपस्थिति में निम्न भुगतान ₹212303 की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे अतिशीघ्र आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्र0सं0	**बिल नं0 व दिनांक**	**अवधि**	**राशि (₹)**
1	21 दिनांक 6.4.16	17.2.16 से 31.3.16	34011
2	83 दिनांक 13.5.16	अप्रैल 2016	23487
3	134 दिनांक 18.6.16	मई 2016	23487
4	175 दिनांक 14.7.16	जून 2016	23590
5	230 दिनांक 9.8.16	जुलाई 2016	23590
6	296 दिनांक 8.9.16	अगस्त 2016	23590
7	348 दिनांक 5.10.16	सितम्बर 2016	23590
8	442 दिनाक 15.11.16	अक्तूबर 2016	23590
9	518 दिनांक 19.12.16	1.11.16 से 17.11.16	13368
		कुल	**₹212303**

25.2 (क) बिल नं0 316 व 317 दिनांक 19.9.16 ₹71149 का पूर्वांकेक्षण के दौरान पाया गया कि मण्डी समिति सोलन द्वारा सीजन (3 माह) हेतु मै0 शिमला क्लीनवेज के माध्यम से आउटसोर्स पर 8 नं0 अतिरिक्त कर्मचारी (2 मार्किटिंग एग्जीक्यूटिवव 6 मल्टी परपज वर्कर) रखते थे परन्तु हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड/मण्डी समिति द्वारा अपनाई गई टैण्डर प्रक्रिया सम्बन्धित अभिलेख इकरारनामा नियम व शर्तें जिनके आधार पर इन कर्मचारियों को रखा गया था अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे अतिशीघ्र आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार (वित्त विभाग) शिमला–2 के पत्र संख्या फिन–एफ (ए)–(11)–11/2004 दिनांक 5.8.15 द्वारा वाँछित हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसकी अनुपस्थिति में निम्न भुगतान ₹305890 की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे अतिशीघ्र जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्र0सं0	**बिल नं0 व दिनांक**	**अवधि**	**राशि**	**टिप्पणी**
1	316, 317 दिनांक 19.9.16	22.7.16 से 31.8.16	71148	
2	381 दिनांक 19.10.16	09/2016	107541	
3	454 दिनांक 23.11.16	10/2016	93442	
4	518, 519 दिनांक 19.12.16 व 584, 585 दिनांक 18.1.17	11 व 12/2016	33758	बिल की कुल राशि क्रमशः 107116, 2186, 87283, 1781 जिसमें दूसरे शीर्ष के अन्तर्गत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन सम्मिलित है।
		कुल	**₹305890**	

(ग) हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पत्र संख्या एचएमबी (बी) 1–6/2013–1–4805 दिनांक 25.7.16 द्वारा ही उपरोक्त कर्मचारियों को केवल 3 माह के सेब सीजन हेतु ही रखा जाना था तथा इसी कार्यालय के पत्र संख्या 8354 दिनांक 26.10.16 अनुसार दिनांक 25.10.16 को सेब सीजन समाप्त हो चुका था परन्तु इन कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु 3 माह की अवधि की गणना उनकी कार्य ग्रहण की तिथि से की गई थी जोकि अंकेक्षण अनुसार उचित नहीं था तथा ऐसा प्रतीत होता था कि ऐसा करके मण्डी समिति या बोर्ड द्वारा उक्त फर्म को या रखे गए कर्मचारियों को जानबूझ कर अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। ऐसा करने से कमेटी कोष से निम्न विवरणानुसार कुल 150 कार्य दिवसों के लिए किए गए भुगतान ₹44851 का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें।

क्र0सं0	**नाम**	**पद**	**3 माह की अवधि**	**कार्य ग्रहण की तिथि**	**अन्तिम कार्य दिवस**	**अतिरिक्त कार्य दिवस**
1	श्री चन्दन ठाकुर	एम0पी0 डब्ल्यू	25.7.16 से 25.10.16	8.8.16	28.10.16	3
2	कु0सलमा	एम0पी0 डब्ल्यू	25.7.16 से 25.10.16	1.8.16	31.10.16	6

3	श्री विनोद कुमार	एम0पी0 डब्ल्यू	25.7.16 से 25.10.16	16.8.16	15.11.16	21
4	श्री सुनील कुमार	एम0पी0 डब्ल्यू	25.7.16 से 25.10.16	16.8.16	15.11.16	21
5	श्री अनिल कुमार	एम0पी0 डब्ल्यू	25.7.16 से 25.10.16	20.8.16	19.11.16	25
6	कु0 किरण	एम0पी0 डब्ल्यू	25.7.16 से 25.10.16	1.9.16	30.11.16	36
7	श्री भूपेश कुमार	एम0पी0 डब्ल्यू	25.7.16 से 25.10.16	5.9.16	3.12.16	38
					कुल	**150 दिन**

25.3 राष्ट्रीय कृषि बाजार के अन्तर्गत आउटसोर्स पर रखे गए 6 कर्मचारियों को किया गया ₹3.69 लाख का अनुचित भुगतान

(क) बिल संख्या 518, 519 दिनांक 19.12.16 व 584, 585 दिनांक 18.1.17 के पूर्वाकेंक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पत्र सख्या एचएमबी (बी) 1–6/2013–1–8682 दिनांक 4.11.16 तथा 8869 दिनांक 9.11.16 द्वारा मै0 शिमला क्लीनवेज को कुल 6 मार्किटिंग एग्जीक्यूटिव मण्डी समिति सोलन हेतु उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। ये कर्मचारी मण्डी समिति सोलन के मांग पत्र संख्या ए/एसएमसी–1721 दिनांक 1.10.16 तथा ए/एसमएसी–1–72/2016–1906 दिनांक 9.11.16 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाए गए थे जिसके अनुसार सचिव मण्डी समिति सोलन ने सूचित किया था कि राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के डी0एम0आई0 ने इस योजना के अन्तर्गत 6 कर्मचारी नियुक्त करने हेतु निर्देशित किया है। परन्तु लेखा परीक्षा के मांगे जाने पर भी मण्डी समिति सोलन ने डी0एम0आई0 की उक्त प्रति लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई जिससे कि यह जाँच हो सकती कि राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के डी0एम0आई0 ने इस योजना के अन्तर्गत कितने व किस श्रेणी के कर्मचारी नियुक्त करने के निर्देश दिए है। अंकेक्षण द्वारा बिल पर आपत्ति दर्ज कर यह भी पूछा था कि इन कर्मचारियों के नियुक्त किए जाने हेतु मण्डी समिति सोलन कार्यालय में अतिरिक्त कार्यभार सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट की जाए परन्तु अंकेक्षण आपत्ति पर कार्यालय का जवाब था कि इन कर्मचारियों को कार्यालय के विविध कार्यों के निष्पादन हेतु

रखा गया है। इस प्रकार इन 6 कर्मचारियों को रखे जाने का उचित कारण स्पष्ट नहीं हो सका।

(ख) बिल के साथ संलग्न पत्र संख्या एचएमबी (बी) 1–6/2013–1–8682 दिनांक 4.11.16 की अनुपालना में आउटसोर्स फर्म मै0 शिमला क्लीनवेज ने कुमारी रूपा ठाकुर के पत्र में नियुक्ति पत्र संख्या एससी/एपीपी/एपीएमसी–डीईपीटीटी–115 दिनांक 1.11.16 जारी कर दिया था। अतः मांग पत्र से 3 दिन पूर्व ही नियुक्ति पत्र का जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं हुआ जिस बारे अंकेक्षण द्वारा स्थिति स्पष्ट करने का कहा था परन्तु अभी तक इस बारे में किसी प्रकार की अनुपालना अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) इसके अतिरिक्त हिमचल प्रदेश सरकार (वित विभग) शिमला–2 के पत्र संख्या फिन–एफ (ए)–(11)–11/2004 दिनांक 5.8.15 द्वारा वाँछित हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसकी अनुपस्थिति में निम्न विवरणानुसार ₹369097 के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र0सं0	**बिल नं0 व दिनांक**	**अवधि**	**राशि**	**टिप्पणी**
1	518, 519 दिनांक 19.12.16	11/2016	54488	बिल में चालक का वेतन भी सम्मिलित था। अतः इस सारणी में केवल 6 मार्किटिंग एग्जीक्यूटिव का वेतन ही दर्शाया गया है।
2	584, 585 दिनांक 18.1.17	12/16	77324	–यथोपरि–
3	621, 622 दिनांक 7.2.17	01/17	79095	–यथोपरि–
4	701, 702 दिनांक 15.3.17	02/17	79095	–यथोपरि–
5	11, 12 दिनांक 10.4.17	03/17	79095	–यथोपरि–
		कुल	**369097**	

अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त अनियमितताओं को मण्डी समिति के संज्ञान में लाकर उचित कार्यवाही करने बारे कहा था परन्तु मण्डी समिति ने बिना किसी कार्यवाही के बिल पारित करने हेतु अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जिन्हें इस शर्त पर पारित कर दिया गया था कि आवश्यक अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा जिस बारे अभी तक भी

अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा तदानुसार वाँछित कार्यवाही करके अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

(अधियाचना संख्या 1 दिनांक 26.4.16, 19 दिनांक 1.10.16, 22 दिनांक 3.12.16 व 28 दिनांक 3.2.17)

26 माननीय उच्च न्यायालय में जमा करवाए गए ₹8819465 का बजट प्रावधान प्रस्तुत करने बारे

बिल नं0 72 दिनांक 9.5.16 ₹8799481 तथा बिल नं0 148 दिनांक 29.6.16 ₹19984 लेखा परीक्षा में पारित करने हेतु प्रस्तुत किए गए थे जिनकी जाँच करने पर पाया गया कि यह राशि निर्माण कार्य Expansion and modernization of RM Yard Kather Soln से सम्बन्धित कार्य के लिए Sole Arbitrator (District And Session Judge) द्वारा श्री अरूण कुमार ठेकेदार के पक्ष में आए निर्णय के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु जमा करवानी थी। अंकेक्षण के दौरान पाया कि इस मद हेतु बजट प्रावधान नहीं था। अतः कार्य के निष्पादन हेतु प्रशासनिक सचिव की वित्तीय स्वीकृति/अनुमोदन अनिवार्य था जिस बारे अंकेक्षण ने मण्डी समिति कार्यालय को सूचित किया था। परन्तु मण्डी समिति कार्यालय ने इस आश्वासन के साथ बिल वापस कर दिया कि बजट प्रावधान प्राप्त करके दिखा दिया जाएगा। कार्य की अनिवार्यता को देखते हुए बिल को प्रशासनिक सचिव से अनुमोदन/वित्तीय स्वीकृति व बजट प्रावधान प्राप्त करने की शर्त पर पारित कर दिया था परन्तु अभी तक मण्डी समिति कार्यालय द्वारा अंकेक्षण को किसी प्रकार की कृत कार्यवाही से अवगत नहीं करवाया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करके अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

(अधियाचना संख्या 2 दिनांक 10.5.16)

27 राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के अन्तर्गत किए गए व्यय में पाई गई अनियमितताएँ

(क) मण्डी समिति सोलन को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना से जोड़ने हेतु विभिन्न उपकरणों की खरीद से सम्बन्धित बिल नं0 85 दिनांक 17.5.16 ₹899857 के पूर्वांकेक्षण करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण आपतियां पाई गईः–

(i) इस बिल के अन्तर्गत कम्पयूटर प्रिन्टर, टैबलेट, डाटा कार्ड आदि तकनीकी उपकरणों की खरीद की गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या फि–एफ–(ए)–(11)–11/2004 दिनांक 3.6.14 (एसओई नं0 24) अनुसार तकनीकी किस्म की

खरीद हेतु बनाई जाने वाली क्रय कमेटी में कम से कम एक तकनीकी सदस्य का होना अनिवार्य है। परन्तु बोर्ड या मण्डी समिति स्तर पर की गई औपचारिकताऐं पूर्ण करने की सारी प्रक्रिया से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त क्रय कमेटी में तकनीकी सदस्य सम्मिलित नहीं किया गया था जोकि अनियमित था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ii) ग्लोबल नैटकॉम शिमला के बिल नं0 000058 दिनांक 2.4.16 द्वारा उनसे ₹472950 के उपकरण खरीदे गए थे जिसके लिए पत्र संख्या एचएमबी (जी) 2–7/2003 4–वाल–26 दिनांक 5.4.16 द्वारा मण्डी समिति ढली में लोकल परचेज कमेटी गठित की गई थी। चूंकि बिल की राशि एक लाख से अधिक थी। अतः हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 102 के अनुसार इस प्रकार की खरीद हेतु विज्ञापित या लिमिटिड टैण्डर की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त सारी प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी की गई प्रतीत होती है अर्थात एक दिन के दिनांक 5.4.16 को ही कमेटी गठित की गई व निविदाऐं एकत्रित व खोली गई है। अतः यह स्पष्ट नहीं हो सका कि विज्ञापित टैण्डर की प्रक्रिया को न अपनाकर इतनी जल्दबाजी में औपचारिकताऐं क्यों पूरी की गई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iii) आपूर्ति आदेश संख्या ए/एसएमसी–1–13/84–90 दिनांक 7.4.16 द्वारा Numerric 5 KVA online UPS की मांग की गई थी जबकि फर्म द्वारा Numeric 6 KVA online UPS उपलब्ध करवाया गया था जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए।

(iv) बिल के साथ लगाए गए अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विभिन्न उपकरणों की खरीद करते समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए।

क्र0सं0	**मद**	**फर्म का नाम/बिल नं0 व दिनांक**	**विवरण**
1	प्रिन्टर (लेजर जैट व टीवीएस थरमल)	ग्लोबल नैटकाम शिमला बिल नं0 000058 दिनांक 20.4.16 व देवन एण्टरप्राईजिज शिमला बिल नं0 2 दिनांक 22.4.16	3 प्रिन्टर क्रय करने का प्रावधान था जबकि 7 प्रिन्टर खरीदे गए है।
2	यूपीएस	ग्लोबल नैटकॉम शिमला बिल नं0 000058 दिनांक 20.4.16	2 यूपीएस क्रय करने का प्रावधान था

			जबकि 3 यूपीएस खरीदे गए है।
3	लैपटाप (2 नं0)	ग्लोबल नैटकाम शिमला बिल नं0 000058 दिनांक 20.4.16	अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि लैपटाप के स्थान पर डैस्कटॉप कम्पयूटर क्रय किए जाने का प्रावधान था।

(ख) भारत सरकार द्वारा मण्डी समिति सोलन को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना से जोड़ने हेतु बजट/निधि उपलब्ध करवाई जानी थी परन्तु इससे सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि योजना से सम्बन्धित दिशा निर्देश, नियम, जारी की गई निधि आदि अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। उक्त अभिलेख अंकेक्षण के मांगे जाने पर सूचित किया गया कि भारत सरकार द्वारा मण्डी समिति सोलन को इस योजना से जोड़ने के लिए ₹30 लाख का बजट उपलब्ध करवाया जाना है परन्तु राशि कब प्राप्त होगी इस बारे सूचित नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड शिमला ने अपने पत्र संख्या एचएमबी (जी) 2–8/2016–1516 दिनांक 16.5.16 द्वारा सचिव मण्डी समिति सोलन को आदेश दिए गए थे कि इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2016–17 के बजट से राशि खर्च कर ली जाए तथा भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर मण्डी समिति कोष में राशि जमा करवा दी जाएगी। अतः मण्डी समिति का समयबद्ध दायित्व होने के कारण उपरोक्त बिल संख्या 85 दिनांक 17.5.16 ₹899857 तथा निम्न विवरण अनुसार अन्य बिल भी इस शर्त पर अंकेक्षण में पारित कर दिए गए थे कि भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर तथा कमेटी कोष में जमा होने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाए। परन्तु अभी तक इस विषय में की गई किसी कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया है।

क्र0सं0	**बिल नं0 व दिनांक**	**बिल की राशि**	**आनुक्रमिक योग**
1	85 दिनांक 17.5.16	899857	899857
2	138 दिनांक 22.6.16	2700	902557
3	259 दिनांक 28.8.16	6332	908889

4	146 दिनांक 28.6.16	2796	911685
5	113 दिनांक 2.6.16	21627	933312
6	277 दिनांक 1.9.16	1408	934720
7	292 दिनांक 5.9.16	205	934925
8	310 दिनांक 17.9.16	759	935684
9	313 दिनांक 17.9.16	37800	973484
10	384 दिनांक 19.10.16	459	973943
11	395 दिनांक 24.10.16	27000	1000943
12	370 दिनांक 13.10.16	2064	1003007
13	432 दिनांक 7.11.16	1499	1004506
14	446 दिनांक 17.11.16	1499	1006005
15	444 दिनांक 16.11.16	20000	1026005
16	486 दिनांक 3.12.16	2982	1028987
17	515 दिनांक 19.12.16	1559	1030546
18	543 दिनांक 3.1.17	918	1031464
19	572 दिनांक 10.1.17	459	1031923
20	602 दिनांक 28.1.17	267	1032190
21	604 दिनांक 28.1.17	459	1032649
22	636 दिनांक 15.2.17	459	1033108
23	487 दिनांक 3.12.16	2622	1035370
24	651 दिनांक 24.2.17	1750	1037480
25	553 दिनांक 4.1.16	42654	1080134
26	650 दिनांक 24.2.17	38648	1118782
27	649 दिनांक 22.2.17	918	1119700
28	664 दिनांक 2.3.17	19468	1139168
29	634 दिनांक 15.2.17	14427	1153595
30	699 दिनांक 15.3.17	459	1154054
31	705 दिनांक 15.3.17	1837	1155891
32	709 दिनांक 18.3.17	3806	1159697

33	719 दिनांक 24.3.17	718	1160415
34	742 दिनांक 30.3.17	549	1160694
35	746, 747 दिनांक 30.3.17	5843	1166807
36	744, 745 दिनांक 30.3.17	13331	1180138
37	518, 519 दिनांक 19.12.16	54488	1234626
38	584, 585 दिनांक 18.1.17	77324	1311950
39	621, 622 दिनांक 7.2.17	79095	1391045
40	701, 702 दिनांक 15.3.17	79095	1470140
41	11, 12 दिनांक 10.4.17	79095	1549235

अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त अनियमितताओं को मण्डी समिति के संज्ञान में लाकर उचित कार्यवाही करने बारे कहा था परन्तु मण्डी समिति द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही करके अंकेक्षण को सूचित नहीं किया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तदानुसार वाँछित कार्यवाही करके अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

(अधियाचना संख्या 3 दिनांक 27.5.16)

28 अग्रिम समायोजन में पाई गई अनियमितताऐं

मण्डी समिति सोलन के कर्मचारियों द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रयोजनों हेतु अग्रिम राशि ली जाती है परन्तु इनका समायोजन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है जैसे कि समायोजन निश्चित समय सीमा के भीतर न करवाना, शेष बची राशि समय पर वापस कमेटी कोष में जमा न करवाना, जिस कार्य के लिए अग्रिम लिया गया है उससे किसी अन्य कार्य पर राशि का खर्च किया जाना आदि। इस प्रकार के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः–

(क) समायोजन बिल संख्या 14 दिनांक 2.4.16

बिल संख्या 643 दिनांक 26.3.15 द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के अध्यक्ष व गैर सरकारी सदस्यों हेतु दिनांक 11 व 12.5.15 को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने के लिए श्री सुशील कुमार, लिपिक को ₹60000 की अग्रिम राशि दी गई थी जिसके समायोजन बिल संख्या 14 दिनांक 2.4.16 का पूर्वाकेंक्षण करते हुए पाया गया कि लगभग एक वर्ष बाद समायोजन वाउचर प्रस्तुत किए गए थे जोकि अनियमित था। इसके अतिरिक्त यह प्रशिक्षण शिविर विभिन्न मण्डी समितियों के अध्यक्ष व गैर सरकारी सदस्यों (20 नं0) हेतु आयोजित किया जाना था जबकि 20 में से 9 प्रशिक्षणार्थी कार्यालय कर्मचारी थे। अतः गैर सरकारी सदस्यों के स्थान पर सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण में भाग लेने से प्रशिक्षण का उद्देश्य ही

समाप्त हो जाता है। अतः निम्न विवरणानुसार उक्त 9 कर्मचारियों पर किया गया खर्च ₹20793 अनियमित था जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस राशि को नियमानुसार या तो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाया जाए या उचित स्त्रोत से वसूली उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**मद**	**कुल खर्च की गई राशि**	**9 सदस्यों पर खर्च की गई राशि**
1	खाना	22000	9900
2	लिट्रेचर	6240	2808
3	बैग	6000	2700
4	टैक्सी	9000	4050
5	स्नैक्स	2967	1335
		कुल	**20793**

(ख) समायोजन बिल संख्या 213 दिनांक 29.7.16

बिल संख्या 158 दिनांक 14.7.14 द्वारा ली गई अग्रिम राशि ₹25000 के समायोजन वाउचर 2 वर्ष बाद प्रस्तुत किए गए तथा शेष बची राशि ₹2159 को रसीद संख्या 295256 दिनांक 1.10.16 द्वारा कमेटी कोष में जमा करवाया गया था। यद्यपि अंकेक्षण के आपत्ति दर्ज करने पर ब्याज राशि वसूल कर ली गई थी परन्तु 2 वर्ष से भी अधिक समय बाद अग्रिम के समायोजन करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार अग्रिम राशियों का समायोजन किया जाए।

(ग) समायोजन बिल संख्या 567 दिनांक 21.3.16

बिल संख्या 261 दिनांक 14.9.15 द्वारा ली गई अग्रिम राशि ₹10000 के समायोजन वाउचर 18 माह बाद प्रस्तुत किए गए तथा शेष बची राशि ₹2000 को रसीद संख्या 295168 दिनांक 18.3.16 द्वारा कमेटी कोष में जमा करवाया गया था। यद्यपि अंकेक्षण के आपत्ति दर्ज करने पर ब्याज राशि वसूल कर ली गई थी परन्तु 18 माह से भी अधिक समय तक शेष बची राशि को वापिस न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(घ) समायोजन बिल संख्या 236 दिनांक 12.8.16

बिल संख्या 464 दिनांक 23.1.16 द्वारा ली गई अग्रिम राशि ₹70000 व समायोजन वाउचर बिल संख्या 236 दिनांक 12.8.16 की जाँच करने पर पाया गया कि प्रबन्ध निदेशक

द्वारा राज्य से बाहर की गई हवाई यात्रा के लिए वाँछित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति संलग्न अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ङ) समायोजन बिल संख्या 237 दिनांक 12.8.16

बिल संख्या 71 दिनांक 6.5.16 द्वारा ली गई अग्रिम राशि ₹50000 समायोजन वाउचर बिल संख्या 237 दिनांक 12.8.16 की जाँच करने पर पाया गया कि अग्रिम राशि लिए जाने का उद्देश्य मण्डी समिति सोलन के तीसरे फेज का उद्घाटन था जबकि राशि को ओनलाईन फल व सब्जी बाजार के उद्घाटन पर खर्च किया गया था जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए।

(अधियाचना संख्या 5 दिनांक 9.6.16)

29 किसान विश्राम गृह के कमरा नं0 7 को सचिव आवास में परिवर्तित करने बारे

पत्र संख्या ए/एसएमसी–3–111/94–पार्ट–6–730 दिनांक 8.6.16 द्वारा किसान विश्राम गह सोलन के कमरा नं0 7 को सचिव मण्डी समिति सोलन के आवास हेतु आबंटित किया गया था परन्तु सम्बन्धित नियम जिसके अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता था तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी। मण्डी समिति की बैठक दिनांक 7.5.16 के मद संख्या 8 में केवल कमरे की मुरम्मत तथा रसोई बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें यह कहीं भी पारित नहीं किया गया था कि इस कमरे को सचिव मण्डी समिति सोलन को आवास के लिए आबंटित कर दिया जाए। अतः सम्बन्धित नियम व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत की जाए तथा नियमानुसार आवास की लाईसैन्स फीस की वसूली की जानी भी सुनिश्चित की जाए।

(अधियाचना संख्या 8 दिनांक 11.7.16)

30 असुनियोजित अस्थाई स्थानान्तरण के कारण ₹0.15 लाख का अनुचित व्यय

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पत्र संख्या एचएमबी (बी) 2–12/97–111–808–1–8682 दिनांक 15.12.15 द्वारा कर्मचारियों का अस्थाई स्थानान्तरण किया गया था तथा यह दर्शाया गया था कि कर्मचारियों को एरिया ऑफ सरप्लस से एरिया ऑफ नीड के लिए स्थानान्तरित किया जा रहा है परन्तु वास्तव में स्थिति अलग थी। कर्मचारियों का अस्थाई स्थानान्तरण जिस प्रकार किया गया वह निम्न हैः–

क्र0सं0	नाम	पद	अस्थाई स्थानान्तरण का विवरण
1	श्री कुलवन्त सिंह	सहायक नीलामी कर्ता	चैक पोस्ट परवाणु से सोलन
2	श्री हेम राज	सहायक नीलामी कर्ता	राजगढ़ से चैक पोस्ट परवाणु
3	श्री ब्यास देव	सहायक नीलामी कर्ता	सोलन से चैक पोस्ट चक्की का मोड

उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि यदि श्री कुलवन्त सिंह व श्री ब्यास देव को स्थानान्तरित न करके श्री हेम राज सहायक नीलामीकर्ता को सीधे राजगढ़ से चक्की का मोड़ ही भेज दिया जाता तो शेष 2 कर्मचारियों द्वारा किया गया यात्रा भत्ता दावे पर व्यय की गई राशि के अपव्यय से बचा जा सकता था। इस प्रकार श्री कुलवन्त सिंह सहायक नीलामी कर्ता को भुगतान किए गए अवधि 16.2.15 से 12.5.16 तक की अस्थाई यात्रा दावा की राशि ₹14748 अनियमित थी जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस अनियमित राशि के भुगतान हेतु निजी दायित्व तय करके वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

(अधियाचना संख्या 9 दिनांक 11.7.16)

31 वाहन संख्या एच0पी0–12 ए–0006 की लॉग बुक के रख रखाव में पाई गई अनियमितताओ के बारे में

(क) अवधि 1.4.15 से 31.3.16 तक की लॉग बुक का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में वाहन का प्रयोग पत्र संख्या एचएमबी/ओएस (2)–13–96–2254 दिनांक 7.3.07 में निर्देशित उद्देश्यों के लिए न करके अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है।

Sr.No.	Date	Distance Travelled	Place visited (From APMC Kather to)	Purpose
1	13.4.15	236 Km	Sabathu, Gamberpul, Barotiwala, Baddi, Parwanoo, Local & back	Attended tour programme of CM HP
2	15.4.15	26 Km	Chambaghat Solan	Attended Himachal Day celebration in thodo ground
3	29.4.15	156 Km	Thodo Ground Solan, Chamsha, Waknaghat Local	Attended tour programme of Dr. (Col.) DR Shandil
4	11.5.15	58 Km	Kandaghat, Dhalli	To bring the Chairman, member to attend the meeting at APMC Solan
5	--do---	57 Km	---do---	Back Journey
6	12.5.15	58 Km	---do---	To bring the Chairman, member to atted

				meeting at APMC Solan
7	--do--	58 Km	--do---	Back Journey
8	16.5.15	52 Km	--do--	To bring the Chairman, member to attend meeting at APMC Solan
9	--do---	54 Km	--do--	Back Journey
10	26.6.15	158 Km	Waknaghat Sadhupul Solan	Attended tour programme of CM
11	7.7.15	183 Km	Jagjitnagar, Banalgi, Diggal, Kunihar, Subathu Local	Attended tour programme of CM
12	3.8.15	41 Km	Solan Local	To visit hotel for lunch
13	4.8.15	89 Km	Nauni Local	Attended tour programme of CM
14	19.8.15	127 Km	Shimla	Meeting with CM at Secretriate
15	28.11.15	115Km	Nauni Ochhghat Kandaghat, Kayribagla	Attended tour programme of CM
16	28.1.16	124 Km	Kunihar local & back	Attended tour programme of CM
17	5.2.16	106 Km	Shimla	To meet CM at Shimla
18	8.2.16	40 Km	Kalka Railway Station	To drop Secretary at railway Station
	--do--	45 & 43 Km	Nalagarh to Kalka & Kalka to Solan	To bring secretary from Kalka to Solan
19	10.2.16	20Km	Solan local	Visit Local office and members for lunch
20	18.2.16	113 Km	Shimla Khallini	Meeting with the minister Dr. (Col) DR Shandil at Shimla and attended HPSAMB office
21	20.2.16	253 Km	Nalagarh Baddi Barotiwala	Attended tour programme of CM
22	27.2.16	96Km	Parwanoo Local	Attended tour programe of Advisor and MD HPSAMB
23	1.3.16	122 Km	Shimla	Meeting with The minister Dr. (Col)Dr Shandil at Shimla and attended HPSAMB office

24	10.3.16	124 Km	--do--	--do--
25	28.3.16	76 Km	Chandigarh	To drop the Secretary at railway station to catch the train to new Delhi
	--do--	130 Km	Chandigarh to Solan	To bring Secretary From railway station to Solan

अतः उपरोक्त यात्राओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके इन यात्राओं को नियमित करवाया जाए अथवा यात्राओं पर आए खर्चे की भरपाई उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में वाहन द्वारा तय की गई दूरी इन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी से अधिक प्रतीत होती है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा निजी यात्राओं के लिए निर्धारित सरकारी दरों अनुसार अधिक दर्शाई गई दूरी की उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Date	**Place visited**	**Km Travelled**	**Actual Distance in Km**	**Excess distance shown in Km**	**Purpose of Journey**
7.7.15	APMC Kather to Chambaghat	6	6	Nil	To fill the Diesel
9.4.15	--do--	10	6	4	To Fill the Diesel
12.4.15	--do--	8	6	2	--do--
16.4.15	--do--	10	6	4	--do--
23.4.15	--do--	10	6	4	--do--
27.4.15	--do--	10	6	4	--do--
5.5.15	--do--	10	6	4	--do--
8.5.15	--do--	10	6	4	--do--
14.5.15	--do--	10	6	4	--do--
5.6.15	--do--	10	6	4	--do--
25.6.15	--do--	8	6	2	--do--
16.7.15	--do--	10	6	4	--do--

22.7.15	--do--	10	6	4	--do--
25.7.15	--do--	10	6	4	--do--
1.8.15	--do--	10	6	4	--do--
7.8.15	--do--	10	6	4	--do--
17.8.15	--do--	10	6	4	--do--
28.8.15	--do--	10	6	4	--do--
1.9.15	--do--	10	6	4	--do--
10.9.15	--do--	6	6	Nil	--do--
22.9.15	--do--	6	6	Nil	--do--
9.11.15	--do--	10	6	4	--do--
14.11.15	--do--	8	6	2	--do--
23.11.15	--do--	8	6	2	--do--
30.11.15	--do--	8	6	2	--do--
25.12.15	--do--	8	6	2	--do--
31.12.15	--do--	8	6	2	--do--
			Total	**82 Km**	

(ग) हिमाचल राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पत्र संख्या एचएमबी/1422 दिनांक 18.5.15, एचएमबी/ओएस (2)–13–96–111–1793 दिनांक 28.5.15, एचएमबी/7825 दिनांक 21.11.15, एचएमबी/ओएस (2)–13–96–111–11842 दिनांक 11.3.16, द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों अनुसार सभी यात्राओं के लिए, अधिकार क्षेत्र से भीतर या बाहर, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। वाहन संख्या एचपी 12 ए–0006 की 2015–16 की लॉग बुक की जाँच के समय बार बार मांगे जाने पर भी ये अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए थे जोकि अब शीघ्र प्रस्तुत किए जाऐं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लॉग बुक मे दर्शाई गई यात्राऐं नियमानुसार है या नही। (अधियाचना संख्या 13 दिनांक 21.7.16)

32 मोटर वाहन शीर्ष के अन्तर्गत किए गए ₹1.28 लाख के अनियमित व्यय बारे

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पत्र संख्याः एचएमबी/1–31–84–भाग–1–12140 दिनांक 19.3.16 व सचिव मण्डी समिति सोलन के पृष्ठांकन संख्याः ए/एसएमसी–38/2010–4935 दिनांक 21.3.16 अनुसार मण्डी समिति सोलन के वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट को इस आशय के साथ स्वीकृत किया गया था कि मोटर गाड़ी इत्यादि पर होने वाले खर्च को ₹2.50 लाख तक की ही स्वीकृति प्रदान की

गई थी तथा इससे अधिक किए गए खर्च की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से किए जाने के निर्देश हदए गए थे उक्त पत्र में दिए गए विवरण अनुसार मण्डी समिति सोलन को वर्ष 2015–16 के लिए मोटर वाहन मद हेतु ₹2.50 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी जबकि खर्चा ₹357858 का दिखाया गया है। अतः अधिक किए गए खर्च ₹127858 की वसूली उपरोक्त आदेशानुसार सम्बन्धित अधिकारी से की जानी थी जोकि नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त आदेशों की अनुपालना में वसूली करके अंकेक्षण को सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

33 विज्ञापन बिल के साथ डीएवीपी रेट की प्रति प्रस्तुत न करने बारे

बिल संख्या 219 दिनांक 3.8.16 द्वारा ₹10000 का भुगतान मै0 हिमाचल मैडिकेयर पांवटा साहिब को विज्ञापन छपवाने के लिए किया गया था। बिल की जाँच करने पर पाया गया कि विज्ञापन छपवाने हेतु अनुमोदित डीएवीपी रेट की प्रति संलग्न नहीं की गई थी। मण्डी समिति का समयबद्ध दायित्व होने के कारण बिल इस शर्त पर पारित कर दिया था कि शीघ्र ही वाँछित रेट की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत की जाएगी अथवा निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय शिमला से उक्त भुगतान हेतु स्वीकृति प्राप्त की जाए परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की अनुपालना नहीं की गई है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही करके अंकेक्षण को सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। (अधियाचना संख्या 14 दिनांक 5.8.16)

34 फल व सब्जियो की ऑनलाईन रिटेल मार्किट बारे

मण्डी समिति सोलन में दिनांक 8.5.16 से फल व सब्जियों की ऑनलाईन रिटेल मार्किट शुरू की गई थी जिसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पत्र संख्या एचएमबी–1784 दिनांक 20.05.16 द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार यह योजना नगर परिषद क्षेत्र सोलन के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर फल व सब्जियां उपलब्ध करवाने हेतु 3 माह के लिए पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर आरम्भ की गई थी। उक्त पत्र अनुसार मण्डी समिति सोलन द्वारा संचालित की जाने वाली इस योजना में फल व सब्जियों की कीमतें, प्रतिदिन के होलसेल रेट में डीएफएससी सोलन द्वारा तय किया गया परसैन्टेज तथा ओवरहैंड चार्जिज को सम्मिलित करके निर्धारित की जानी थी तथा उक्त योजना की प्राप्तियों व खर्चों के लिए अलग से लेखा रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त योजना को

कार्यान्वयन के लिए समिति ने निम्नविवरणानुसार ₹292948 का व्यय किया जिसे अंकेक्षण द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ पारित किया था।

क्र0सं0	बिल सं0 व दि0	राशि
1	229 दिनांक 9.8.16	140505
2	142 दिनांक 28.6.16	2919
3	308 दिनांक 15.9.16	5796
4	395 दिनांक 24.10.16	47250
5	284 दिनांक 20.7.17	998
6	274 दिनांक 14.7.14	48240
7	312 दिनांक 4.8.17	45560
8	473 दिनांक 12.10.17	1680
	कुल	**292948**

टिप्पणियाँ:–

(i) उक्त योजना से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देश/नियमावली मांगी गई थी जोकि अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके अभाव में यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं हो सका कि यह खर्चे नियमानुसार किये जा रहे है या नहीं।

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड खलीनी शिमला–2 के पत्र संख्या एच0एम0बी–1776 दिनांक 20.5.16 द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन में आने वाले खर्चों को कमेटी के बजट से आपूर्ति करने हेतु निर्देशित किया गया था। जबकि पूर्व में आबंटित वर्ष 2016–17 के बजट में इन मदों पर खर्च किए जाने का प्रावधान नहीं था। अतः अब इस सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था।

(iii) बिल संख्या 051 दिनांक 6.8.16 द्वारा खरीदे गये ग्लो साईन बोर्ड व वर्टिकल ब्लाइंडस की लागत चूंकि ₹1 लाख से अधिक थी। अतः हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 102 के प्रावधानानुसार विज्ञापित /लिमिटिड टैन्डर की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए था जोकि कमेटी द्वारा नहीं किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था।

(iv) अंकेक्षण को यह अवगत करवाने को भी कहा गया था कि क्या इस योजना का लाभ वास्तव में उपभोक्ताओं तक पंहुच पा रहा है अथवा नहीं। इस प्रक्रिया में विपणन समिति सोलन को किसी प्रकार की हानि तो नहीं हो रही है।

(v) प्रतिदिन फल व सब्जियों की कीमतें किस आधार पर तय की जाती है।

(vi) उपरोक्त पत्र में निर्देशित होलसेल रेट में सम्मिलित डीएफएससी सोलन द्वारा तय किया गया परसैन्टेज व ओवरहैड़ चार्जिज के बराबर राशि को किस खाते में जमा किया जा रहा है।

(vii) 3 माह की अवधि (8.5.16 से 7.8.16) उपरान्त भी क्या यह योजना मण्डी समिति सोलन द्वारा संचालित की जा रही है। यदि हों तो इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत करने को भी कहा गया था।

अतः बिल संख्या 229 दिनांक 9.8.16 ₹140505 तथा योजना से सम्बन्धित अन्य बिलों को इस शर्त पर भुगतान हेतु पारित किया गया था कि उपरोक्त उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। परन्तु आज तक इस प्रकरण में की गई किसी कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए शीघ्र उचित कार्यवाही करके अंकेक्षण को सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(अधियाचना संख्या 15, दिनांक 31.8.16 व 14 दिनांक 5.12.17)

35 (क) औपचारिकताऐं पूर्ण किए बिना ₹25.64 लाख का अनियमित व्यय

वर्ष 2016–17 व 2017–18 के दौरान मण्डी समिति सोलन द्वारा विभिन्न याडों में अस्थाई शौचालय बनाने व उनकी मुरम्मत करवाने का कार्य मै0 ए0के0 हनी कन्ट्रोलर सुलभ इन्टरनैशनल सोशन सर्विस ओरगनाईजेशन चण्डीगढ़ से करवाया गया था। इस कार्य हेतु कार्यालय द्वारा संस्था को 90 प्रतिशत राशि अग्रिम के तौर पर तथा शेष 10 प्रतिशत राशि कार्य समाप्त होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर भुगतान की गई थी (बिलवार विवरण निम्न है) परन्तु न तो अग्रिम देते समय और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ औपचारिकताऐं पूर्ण किए जाने का अभिलेख/संस्था को सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाने का प्रमाण पत्र अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित अभिलेख अब अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी से इस सम्बन्ध में विशेष छूट प्राप्त करके इस व्यय को नियमित करवाया जाए।

क्र0सं0	बिल संख्या व दिनांक	राशि	विवरण
1	183 दिनांक 19.7.16	259500	परवाणु में 10 सीटड अस्थाई शौचालय के निर्माण हेतु
2	228 दिनांक 9.8.16	259550	सोलन में 10 सीटड अस्थाई शौचालय के निर्माण हेतु

3		67500	सोलन में 1 नं0 सोकेज पिट के निर्माण हेतु
4	294 दिनांक 5.9.16	143000	वाकनाघाट में 4 सीटड अस्थाई शौचालय के निर्माण हेतु
5	363 दिनांक 24.8.17	452800	सोलन में अस्थाई शौचालय की मुरम्मत हेतु
6		280170	सोलन में 4 सीटड अस्थाई शौचालय के निर्माण हेतु
7	365 दिनांक 24.8.17	233500	परवाणु में 10 सीटड अस्थाई शौचालय के निर्माण हेतु
8		317340	परवाणु में 10 सीटड अस्थाई शौचालय के निर्माण हेतु
9	367 दिनांक 24.8.17	233500	सोलन में 10 सीटड अस्थाई शौचालय के निर्माण हेतु
10		317340	सोलन में 10 सीटड अस्थाई शौचालय के निर्माण हेतु
	कुल	**2564200**	

(ख) बिना बजट प्रावधान के ₹37.89 लाख का अनियमित व्यय बारे

मण्डी समिति सोलन ने हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला/सचिव एवं आहरण व वितरण अधिकारी मण्डी समिति सोलन को निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु अग्रिम राशि प्रेषित करने के लिए विभिन्न बिल अंकेक्षण के समक्ष पारित करने हेतु प्रस्तुत किए गए। बिलों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्त वर्ष 2016–17 से सम्बन्धित बजट में इन कार्यों हेतु कोई प्रावधान नहीं था। यह तथ्य अंकेक्षण द्वारा मण्डी समिति सोलन के ध्यान में लाया गया था तथा उनके द्वारा कार्य के कार्यान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकारी से बजट का प्रावधान करवाने हेतु कहा गया था परन्तु ये बिल अंकेक्षण के समक्ष इस उत्तर के साथ प्रस्तुत किए गए कि अग्रिम राशि जारी किया जाना आवश्यक है तथा इन कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी से बजट का प्रावधान करवा लिया जाएगा। इसलिए आवश्यकता को देखते हुए ये बिल अंकेक्षण में सक्षम प्राधिकारी से इन कार्यों हेतु बजट आबंटित करवाए जाने की शर्त पर पारित कर दिए थे परन्तु अभी तक इस बारे में की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	बिल सं0 व दिनांक	राशि	विवरण
1	251 दिनांक 19.8.16	1398072	वाकनाघाट में अस्थाई दुकानों के निर्माण हेतु।
2		709740	C/O Modernization and expansion of TM at Parwanoo (Sh: proposed boundary wall with crash barrio railing)
3	255 दिनांक 27.8.16	759870	सेब मण्डी सोलन के निर्माण हेतु जौब नं0 1 के लिए ₹214380 जॉब नं0 2 के लिए ₹211200 जॉब नं0 3 के लिए ₹210360 तथा जॉब नं0 4 के लिए ₹123930
4	482 दिनांक 3.12.16	766400	Prov. 63KVA Sub station a/w11KVHT & LT line to subji mandi at village Vaknaghat under electrical sub division HPSEB Ltd. Kandaghat
5	483 दिनांक 3.12.16	155000	Providing water facility at subji Mandi Waknaghat from LWSS Dumeher in GP Chhaussa tehsil Kandaghat
	कुल	**₹3789082**	

(अधियाचना संख्या 16 दिनांक 7.9.16)

36 वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी पर किया गया ₹1.12 लाख का संदेहास्पद व्यय

बिल संख्या 313 दिनांक 17.9.16 ₹37800 तथा 395 दिनांक 24.10.16 ₹74250 अंकेक्षण के समक्ष पारित करने हेतु प्रस्तुत किए थे जोकि मै0 पंवार स्टूडियों नजदीक हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड कार्यालय खलीनी शिमला से विभिन्न अवसरों पर कार्रवाई गई वीडीओग्राफी से सम्बन्धित थे की जाँच में पाया गया कि यह कार्य बिना किसी कार्य आदेश के ही किया गया था क्योंकि जिस कार्य आदेश/पत्र संख्या एच0एम0बी0 (जी) 3–5/99 (2012)–10352 दिनांक 8.2.16 का उल्लेख कार्यालय द्वारा किया गया था वह केवल फर्म की दरें अनुमोदित करने से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किए गए पत्र संख्याः एच0एम0बी0 (जी) 2–8/2016–7752 दिनांक 27.9.16 में यह भी

कहा गया था कि तुलनात्मक विवरणी प्राधिकृत कमेटी द्वारा तैयार करके अधोहस्ताक्षरी में विहित शक्तियों का प्रयोग करके अनुमोदित किया है। नियमानुसार व्यय करने से पूर्व औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए विभिन्न फर्मों से प्राप्त निविदाओं को सर्वप्रथम कार्यालय में डायरी किया जाना चाहिए था तथा प्राधिकृत कमेटी द्वारा प्रतिहस्तांतरित भी किया जाना अपेक्षित था जोकि नहीं किया गया प्रतीत होता है। जिसके अभाव में कार्यालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उचित न होकर सन्देहास्पद प्रतीत होती है।

अतः मण्डी समिति का प्रतिबद्ध दायित्व को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त बिल संख्या 313 दिनांक 17.9.16 ₹37800 तथा ₹395 दिनांक 24.10.16 ₹74250 को सशर्त भुगतान हेतु पारित किया गया था कि उक्त आपत्तियों का निपटारा/सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमितकरण करने उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए परन्तु अभी तक भी किसी प्रकार की कार्यवाही बारे अंकेक्षण को सूचित नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए यथोचित कार्यवाही उपरान्त अंकेक्षण को सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(अधियाचना संख्या 20 दिनांक 27.10.16)

37 (क) विभिन्न दुकानों के आबंटियों से सेवाकार के रूप में ₹28.13 लाख की वसूली शेष

मण्डी समिति सोलन द्वारा अवधि 10/13 से 3/15 तक अस्थाई सम्पत्ति पर किराए की वसूली के साथ सेवा कर भी वसूल करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना था जोकि नहीं किया गया था। अतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय चण्डीगढ़ के मांग पत्र जारी करने के उपरान्त मण्डी समिति सोलन ने निम्न विवरणानुसार ₹2813150 की राशि सेवाकर व जुर्माना राशि के रूप में अपने कोष से भुगतान कर दिया था। इस प्रकार जमा करवाई गई राशि ₹2813150 को विभिन्न यार्डों के विभिन्न दुकानों के आबंटियों से वसूल किया जाना अपेक्षित था लेकिन मण्डी समिति द्वारा अभी तक इस राशि की वसूली नहीं की गई है जिसे उचित स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	बिल संख्या व दिनांक	जमा करवाई गई राशि	विवरण
1	508 दिनांक 9.12.16	853082	सेवाकर अवधि 10/13 से 09/14
2	509 दिनांक 9.12.16	233789	सेवाकर अवधि 10/14 से 03/15
3	429 दिनांक 21.9.17	619408	सेवाकर अवधि 10/13 से

			03/15 की राशि पर ब्याज
4	589 दिनांक 23.1.17	20000	धारा 77 के अन्तर्गत जुर्माना निधि
5	589 दिनांक 23.1.17	1086871	धारा 78 के अन्तर्गत जुर्माना राशि
	कुल	**2813150**	

(ख) सेवाकर को समय पर जमा न करवाने पर जुर्माना राशि ₹9.88 लाख का अनियमित भुगतान

बिल संख्या 730 दिनांक 7.2.18 ₹982647 तथा 294 दिनांक 7.9.18 ₹5000 के पूर्वाकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त राशि का भुगतान अवधि 4/12 से 9/13 तक का सेवा कर समय पर जमा न करने के कारण मण्डी समिति द्वारा जुर्माना राशि के रूप में सम्बन्धित विभाग को किया गया था। बिल के साथ संलग्न सी नं0 42/एसटी/अपील/सीएचडी–1/2015 दिनांक 18.1.18 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस जुर्माना राशि के लिए मण्डी समिति सोलन को अपील करने का समय मिला था। निश्चित अवधि से 100 दिन देरी से अपील किए जाने के कारण आयुक्त (अपील) द्वारा यह अपील खारिज कर दी थी। इससे स्पष्ट होता है कि यदि यह अपील निश्चित समय अवधि में की जाती तो मण्डी समिति सोलन को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता तथा सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत किए जाने पर इस जुर्माना राशि को जमा किए जाने के लिए छूट भी मिल सकती थी। अतः अपील को 100 दिन देरी से फाईल किए जाने के कारणों की जाँच की जाए व वस्तुस्थिति के अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

(अधियाचना संख्या 25 दिनांक 20.12.16 तथा 28 दिनांक 31.03.18)

38 व्यवसायिक शुल्क के भुगतान से सम्बन्धित अनुमोदित रेट की प्रति उपलब्ध न करवाना

वर्ष 2014–15 में आयकर मामलों के लिए श्री अजय वैद्य अधिवक्ता को व्यवसायिक शुल्क के रूप में ₹11000 के भुगतान हेतु बिल नं0 427 दिनांक 5.11.16 पारित करने के लिए प्रस्तुत किया था जिसके साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रेट की प्रति संलग्न नहीं की गई थी। अंकेक्षण के पास उपलब्ध पत्र संख्या एचएमबी–(सी) 8–4/99–3519 दिनांक 11.4. 2005 के अनुसार हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड/समितियों के लिए विभिन्न मामलों में व्यवसायिक शुल्क निम्नानुसार अधिसूचित किए गए थेः–

1	इनकम टैक्स रिटर्न फाईल करने के लिए	₹2500 प्रति केस
2	इनकम टैक्स मामलों की अपील हेतु	₹5000 प्रति केस

3	टीडीएस मामलों की फीस	₹1000 प्रति केस

अतः उपरोक्त अधिवक्ता को व्यवसायिक शुल्क के किए गए ₹11000 के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(अधियाचना संख्या 29 दिनांक 23.3.16)

39 **लघु आपति विवरणीः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

40 **निष्कर्ष :—**मण्डी शुल्क की समय पर एवं विहित प्रावधानानुसार वसूली हेतु विशेष ध्यान दिए जाने की, दुकानों के किराये की राशि की वसूली करने हेतु उचित पग उठाए जाने के अतिरिक्त कोई भी खर्चा किए जाने से पूर्व सम्बन्धित समस्त औचारिकताओं के पूर्ण किए जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)40/76—खण्ड—12—2025—2028, दिनांक 25.02.2019 शिमला—09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

1 प्रधान सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002

2 प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भवन खलीनी शिमला—171002

पंजीकृत 3 सचिव, कृषि उपज समिति सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना, कृषि उपज समिति सोलन, हिमाचल प्रदेश को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें व तदानुसार इस कार्यालय को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

4 अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना, कृषि उपज विपणन समिति सोलन, हिमाचल प्रदेश

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

परिशिष्ट–''क'' पैरा संख्याः 1(घ) में सन्दर्भित)

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1985

1. पैरा 6 अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1986 से 3/1987

1. पैरा 24(बी) अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1989

1. पैरा 11 अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 3/1991

1. पैरा 7 अनिर्णीत
2. पैरा 16 अनिर्णीत

(ड़) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1996

1. पैरा 9 अनिर्णीत
2. पैरा 14(1)(2) अनिर्णीत
3. पैरा 15(क,ख) अनिर्णीत
4. पैरा 17 अनिर्णीत
5. पैरा 18 अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1999

1. पैरा 6 अनिर्णीत
2. पैरा 29(1,2,4) अनिर्णीत
3. पैरा 31 अनिर्णीत
4. पैरा 41 अनिर्णीत
5. पैरा 42 अनिर्णीत
6. पैरा 43 अनिर्णीत
7. पैरा 44 अनिर्णीत
8. पैरा 45 अनिर्णीत
9. पैरा 46 अनिर्णीत
10. पैरा 48 अनिर्णीत
11. पैरा 53 अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2003

1.	पैरा 13(ग)	अनिर्णीत
2.	पैरा 14	अनिर्णीत
3.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
4.	पैरा 21	अनिर्णीत
5.	पैरा 35	अनिर्णीत
6.	पैरा 41	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2005

1.	पैरा 9	अनिर्णीत
2.	पैरा 10(ख,ग)	अनिर्णीत
3.	पैरा 12(च)	अनिर्णीत
4.	पैरा 17	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1.	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
2.	पैरा 11	अनिर्णीत
3.	पैरा 13	अनिर्णीत
4.	पैरा 14	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1.	पैरा 5	अनिर्णीत
2.	पैरा 7	अनिर्णीत
3.	पैरा 8	अनिर्णीत
4.	पैरा 9	अनिर्णीत
5.	पैरा 10(ज)	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1.	पैरा 5(2)	अनिर्णीत
2.	पैरा 6	अनिर्णीत
3.	पैरा 7	अनिर्णीत
4.	पैरा 8	अनिर्णीत
5.	पैरा 10	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2.	पैरा 7	अनिर्णीत
3.	पैरा 8	अनिर्णीत
4.	पैरा 9	अनिर्णीत
5.	पैरा 10	अनिर्णीत
6.	पैरा 11	अनिर्णीत
7.	पैरा 12	अनिर्णीत
8.	पैरा 13	अनिर्णीत
9.	पैरा 14	अनिर्णीत
10.	पैरा 15	अनिर्णीत
11.	पैरा 16	अनिर्णीत
12.	पैरा 18	अनिर्णीत
13.	पैरा 20	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2.	पैरा 8	अनिर्णीत
3.	पैरा 9	अनिर्णीत
4.	पैरा 12	अनिर्णीत
5.	पैरा 13	अनिर्णीत
6.	पैरा 14	अनिर्णीत
7.	पैरा 16	अनिर्णीत
8.	पैरा 17	अनिर्णीत
9.	पैरा 18	अनिर्णीत
10.	पैरा 19	अनिर्णीत
11.	पैरा 20	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत
2.	पैरा 3(घ)	अनिर्णीत

3.	पैरा 3(च)	अनिर्णीत
4.	पैरा 3(छ)	अनिर्णीत
5.	पैरा 3(ज)	अनिर्णीत
6.	पैरा 3(ञ)	अनिर्णीत
7.	पैरा 6	अनिर्णीत
8.	पैरा 7	अनिर्णीत
9.	पैरा 8	अनिर्णीत
10.	पैरा 9	अनिर्णीत
11.	पैरा 10	अनिर्णीत
12.	पैरा 11	अनिर्णीत
13.	पैरा 13	अनिर्णीत
14.	पैरा 15	अनिर्णीत
15.	पैरा 16	अनिर्णीत
16.	पैरा 17	अनिर्णीत
17.	पैरा 18	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1.	पैरा 8	अनिर्णीत
2.	पैरा 11	अनिर्णीत
3.	पैरा 12	अनिर्णीत
4.	पैरा 14	अनिर्णीत
5.	पैरा 17	अनिर्णीत
6.	पैरा 18	अनिर्णीत
7.	पैरा 19	अनिर्णीत
8.	पैरा 20(क)	अनिर्णीत
9.	पैरा 20(ख)	अनिर्णीत
10.	पैरा 21	अनिर्णीत
11.	पैरा 22	अनिर्णीत
12.	पैरा 25	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2.	पैरा 7	अनिर्णीत
3.	पैरा 9	अनिर्णीत
4.	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत
5.	पैरा 12	अनिर्णीत
6.	पैरा 13	अनिर्णीत
7.	पैरा 14	अनिर्णीत
8.	पैरा 15	अनिर्णीत
9.	पैरा 16	अनिर्णीत
10.	पैरा 17	अनिर्णीत
11.	पैरा 18	अनिर्णीत
12.	पैरा 19	अनिर्णीत
13.	पैरा 20	अनिर्णीत
14.	पैरा 21	अनिर्णीत
15.	पैरा 22	अनिर्णीत
16.	पैरा 24	अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1.	पैरा 4(ख)	अनिर्णीत
2.	पैरा 5	अनिर्णीत
3.	पैरा 6(क,ख)	अनिर्णीत
4.	पैरा 9	अनिर्णीत
5.	पैरा 10	अनिर्णीत
6.	पैरा 11	अनिर्णीत
7.	पैरा 12	अनिर्णीत
8.	पैरा 13	अनिर्णीत
9.	पैरा 14	अनिर्णीत
10.	पैरा 15	अनिर्णीत

11.	पैरा 16	अनिर्णीत
12.	पैरा 17	अनिर्णीत
13.	पैरा 18	अनिर्णीत
14.	पैरा 19	अनिर्णीत
15.	पैरा 20	अनिर्णीत
16.	पैरा 21	अनिर्णीत
17.	पैरा 22	अनिर्णीत
18.	पैरा 23	अनिर्णीत
19.	पैरा 24	अनिर्णीत
20.	पैरा 25	अनिर्णीत
21.	पैरा 26	अनिर्णीत
22.	पैरा 27	अनिर्णीत
23.	पैरा 28	अनिर्णीत
24.	पैरा 29	अनिर्णीत
25	पैरा 30	अनिर्णीत
26	पैरा 31	अनिर्णीत
27	पैरा 32	अनिर्णीत
28	पैरा 33	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

1.	पैरा 7	अनिर्णीत
2.	पैरा 8	अनिर्णीत
3.	पैरा 10	अनिर्णीत
4.	पैरा 11	अनिर्णीत
5.	पैरा 12	अनिर्णीत
6.	पैरा 15	अनिर्णीत
7.	पैरा 16	अनिर्णीत
8.	पैरा 17	अनिर्णीत
9.	पैरा 18	अनिर्णीत
10.	पैरा 19	अनिर्णीत

11.	पैरा 20	अनिर्णीत	
12.	पैरा 21	अनिर्णीत	
13.	पैरा 22	अनिर्णीत	
14.	पैरा 23	अनिर्णीत	
15.	पैरा 24	अनिर्णीत	

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2016

1	पैरा 4	निर्णीत	(वर्ष 2016–17 में पुनः प्रारूपित किया गया)
2	पैरा 5	निर्णीत	(वर्ष 2016–17 में पुनः प्रारूपित किया गया)
3	पैरा 6	निर्णीत	(वर्ष 2016–17 में पुनः प्रारूपित किया गया)
4	पैरा 7	अनिर्णीत	
5	पैरा 8	अनिर्णीत	
6	पैरा 9	अनिर्णीत	
7	पैरा 10	अनिर्णीत	
8	पैरा 11	अनिर्णीत	
9	पैरा 12	अनिर्णीत	
10	पैरा 13	अनिर्णीत	
11	पैरा 14	अनिर्णीत	
12	पैरा 15	अनिर्णीत	
13	पैरा 16	अनिर्णीत	
14	पैरा 17	अनिर्णीत	
15	पैरा 18	अनिर्णीत	
16	पैरा 19	अनिर्णीत	
17	पैरा 20	अनिर्णीत	
18	पैरा 21	अनिर्णीत	
19	पैरा 22	अनिर्णीत	
20	पैरा 23	अनिर्णीत	
21	पैरा 24	अनिर्णीत	
22	पैरा 25	अनिर्णीत	
23	पैरा 26	अनिर्णीत	

24	पैरा 27	अनिर्णीत
25	पैरा 28	अनिर्णीत
26	पैरा 29	अनिर्णीत
27	पैरा 30	अनिर्णीत
28	पैरा 31	अनिर्णीत
29	पैरा 32	अनिर्णीत
30	पैरा 33	अनिर्णीत

1.	दिनांक 31.3.16 को अनिर्णीत पैरों का शेष	187
2.	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	35
3.	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	3
	दिनांक 31.3.17 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	**219**